न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

नामांतरण अपील सं0 18/2019

1. कजोड़ पुत्र छोटया उर्फ छोटू जाति मीना निवासी ढाणी चौकड़्या छारेडा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राजस्थान

.. अपीलांट

बनाम

1. गंगा पत्नी कजोड़
2. अनिता पुत्री कजोड़
3. गिर्राज प्रसाद पुत्र कजोड़
4. रामकेश पुत्र कजोड़
   समस्त जाति मीना निवासी छारेडा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा।

...रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश तहसीलदार नांगल राजावतान दिनांक 20.6.2018 जो नामांतरकरण संख्या 1776 ग्राम छारेडा पर पारित किया गया है।

उपस्थित : 1. श्री सतीश पारीक, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मानसिंह गुर्जर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री चंद्र शेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः 01.1.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि ग्राम छारेडा तहसील नांगल राजावतान स्थित आराजी खसरा नम्बर 2260,2263,2264 कुल किता 3 रकबा 1.32 है0 व खसरा नम्बर 2242, 2248, 2249, 2312, 2944, 2945 कुल किता 6 रकबा 0.85 है0 व खसरा नं0 2315 रकबा 0.29 है0 का खातेदार व काबिज काश्तकार अपीलांट है। राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के पिता का नाम छोटया दर्ज है। अपीलांट के गांव में ही कजोड़ पुत्र छोटू जाति मीना नाम का ही एक व्यक्ति रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का पति व रेस्पोडेन्ट नं0 2 लगायत 4 का पिता था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उक्त मृतक कजोड़ पुत्र छोटू के फौत होने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण खुलवाने के लिये पटवारी हल्का व तहसीलदार नांगल राजावतान के समक्ष आवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का व तहसीलदार नांगल राजावतान ने नाम व पिता का नाम एक जैसा होने की वजह से गलती से अपीलांट की उपरोक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि का नामांतरकरण रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 4 के नाम नामांतरकरण सं0 1776 दिनांक 20.6.2018 को तस्दीक कर दिया। उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध यह अपील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के पिता का नाम छोटया दर्ज है।

[illegible] तहसील नांगल राजावतान स्थित आराजी खसरा नम्बर 2260,2263,2264 कुल किता 3 रकबा 1.32 है0 व खसरा नम्बर 2242, 2248, 2249, 2312, 2944, 2945 कुल किता 6 रकबा 0.85 है0 व खसरा नं0 2315 रकबा 0.29 है0 का खातेदार व काबिज काश्तकार अपीलांट है। अपीलांट के गांव में ही कजोड़ पुत्र छोटू जाति मीना नाम का ही एक व्यक्ति रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का पति व रेस्पोडेन्ट नं0 2 लगायत 4 का पिता था जिसकी मृत्यु हो उसकी विरासत का नामान्तरकरण खुलवाने के लिये पटवारी हल्का व तहसीलदार नांगल राजावतान के समक्ष आवेदन किया गया। जिस पर पटवारी हल्का व तहसीलदार नांगल राजावतान ने नाम व पिता का नाम एक जैसा होने की वजह से गलती से अपीलांट की उपरोक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि का नामांतरकरण रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 4 के नाम नामांतरकरण सं0 1776 दिनांक 20.6.2018 को तस्दीक कर दिया। प्रश्नगत नामांतरकरण विरासत का नामांतरकरण है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पति व रेस्पोडेन्ट नं 2 लगायत 4 के पिता का नाम कजोड़ पुत्र छोटू था तथा अपीलांट का नाम खातेदारी में कजोड़ पुत्र छोट्या था परन्तु गलती से अपीलांट व मृतक कजोड़ का नाम व पिता का नाम एक जैसा ही होने के कारण गलती से अपीलांट की खातेदारी भूमि का नामांतरकरण रेस्पोडेन्ट सं0 1लगायत 4 के नाम तस्दीक कर कानूनी गलती की है। अतः प्रश्नगत नामांतरकरण को निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस में अधिक्ता रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 4 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रश्नगत विरासत का नामांतरकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है। किन्तु नामांतरकरण तस्दीक किये जाने में कोई कानूनी गलती हुई तो उसे दुरूस्त करने हेतु नियमोचित कार्यवाही किये जाने में रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 4 को कोई आपत्ति नहीं है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा भी बहस में निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 4 द्वारा दिनांक 23.10.19 को न्यायालय में उपस्थित होकर नियमोचित कार्यवाही किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को रिमाण्ड फरमाया जावे।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पति व रेस्पोडेन्ट नं 2 लगायत 4 के पिता का नाम एक जैसा होने से अधीनस्थ न्यायालय गलती से अपीलांट की खातेदारी भूमि रेस्पोडेन्ट नं 1 लगायत 4 के नाम दर्ज होना व्यक्त किया गया है तथा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 4 ने नियमोचित कार्यवाही करने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन नामांतरकरण सं0 1776 दिनांक 20.6.2018 ग्राम छारेडा तहसील नांगल राजावतान को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार राजावतान को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर एवं आवश्यक जांच कर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित कर नियमोचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 01 जनवरी 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official